राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/1775 /2023 दिनांकः—14 जून, 2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

अति आवश्यक/समयबद्ध

विषयः—परीक्षा शुल्क एवं अर्थदण्ड शुल्क जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक एवं परास्नातक प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा तथा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पूर्व में अनेक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा सम्पन्न होकर परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है, जिन महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा नहीं किया गया है, उन महाविद्यालयों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो अभी तक जमा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सम सेमेस्टर परीक्षा दिनांक—17.05.2023 को सम्पन्न हो चुकी हैं, फिर भी 147 महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है। इस कारण से अनेक महाविद्यालयों पर निर्धारित अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभी तक अर्थदण्ड एवं परीक्षा शुल्क जमा न करने पर कुलपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षा की जाती है कि सभी महाविद्यालय लम्बित अर्थदण्ड शुल्क एवं परीक्षा शुल्क दिनांक—20.06.2023 तक आवश्यक रूप से जमा करायें अन्यथा 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ होने वाले सत्र 2023—24 में ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(महेश कुमार) 14/6
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
3. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को जनहित में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी वेवसाईट को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालय की वेवसाईट एवं समस्त कालेज लॉगईन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14.06.23
सहा0 कुलसचिव

Scanned with CamScanner